रत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.704

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान

704. श्री श्रीरंग चंदू बारणे:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयुष दवाओं की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा पद्धति को एकीकृत करने की आवश्यकता महसूस की गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/परिषदों द्वारा आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए अनुसंधान और अन्य आयुष गतिविधियों के लिए आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ख): सरकार आयुर्वेदिक दवाओं सहित आयुष दवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। आयुष मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नप्रकार हैं-

(i) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों/दवाइयों के लिए विशेष विनियामक प्रावधान हैं।

(ii) जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में विहित है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी उपबंधों का प्रवर्तन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें, जिसमें सुरक्षा एवं प्रभावशीलता का

प्रमाण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-न और अनुसूची-ड-1 के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन शामिल है।

(iii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160-क से ञ में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और ताकत के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं जो इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्ध एव यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारक की ओर से अपेक्षित हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनके बुनियादी ढांचे और कार्यात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों और कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता जांच के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत 106 प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है अथवा लाइसेंस दिया गया है। (विवरण https://ayush.gov.in/images/domains/quality_standards/ListofAyurvedaSiddhaUnani.pdf पर उपलब्ध है)

(iv) 2021 में, आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। इस योजना हेतु पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं-

क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
ख. एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता और भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी।
ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य विनियामक ढांचों का सुदृढ़ीकरण।
घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यकरण/प्रमाणन के लिए सहायता।

(ग): जी हाँ, एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा पद्धति को एकीकृत करने की आवश्यकता समझी जा रही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की रणनीति अपनाई है, जिससे एक ही स्थान पर रोगियों को औषधियों की विभिन्न पद्धतियों का विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, जबकि साझा उत्तरदायित्व के रूप में, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मूलभूत ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) - नई दिल्ली में, एकीकृत चिकित्सा

सेवाएं निम्नलिखित इकाइयों के साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं:

क) एकीकृत आयुष थेरेपी केंद्र (यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी)

ख) एकीकृत कैंसर केयर यूनिट

ग) एकीकृत दंत चिकित्सा केंद्र

घ) एकीकृत क्रिटिकल देखभाल और आपातकाल चिकित्सा

ङ) एकीकृत ऑर्थोपेडिक्स केंद्र

च) एकीकृत आहार विज्ञान और पोषण केंद्र

छ) आपात ओपीडी अनुभाग

(iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) - नई दिल्ली के अनुषंगी नैदानिक सेवा इकाइयाँ: -

क) सफदरजंग अस्पताल - नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा सेवा इकाई

ख) सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी (सीआईओ) यूनिट एम्स - झज्जर।

ग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड में आयुर्वेद कल्याण केंद्र।

घ) आरोग्य वन, एकता नगर, केवडिया वन प्रभाग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन प्रशासन प्राधिकरण (एसओयूएडीटीजीए), गुजरात में आयुर्वेद कल्याण केंद्र।

(iv) एकीकृत चिकित्सा विभाग का आरंभ 8 जुलाई, 2022 को वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में हुआ, जो स्पेशलिटी ओपीडी, पंचकर्म थेरेपी, नि:शुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधालय और आहार परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

(v) आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषदों के माध्यम से चिकित्सा की आधुनिक पद्धति के साथ एकीकरण हेतु विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की हैं। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुर्वेद के एकीकरण के लिए निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से आयुर्वेद के एकीकरण के लाभों और व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विभिन्न शोध अध्ययन किए हैं:

क. ऑस्टियोआर्थराइटिस (घुटने) के प्रबंधन के लिए तृतीयक देखभाल अस्पताल (सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली) में चिकित्सा की आधुनिक पद्धति के साथ आयुर्वेद को एकीकृत करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कार्यात्मक अध्ययन।

ख. हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) स्तर पर राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) को शुरू करने की व्यवहार्यता।

ग. कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) में आयुष पद्धतियों का एकीकरण

घ. महाराष्ट्र के चयनित जिले (गढ़चिरौली) के पीएचसी में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) में आयुर्वेद उपचार आरम्भ करने की व्यवहार्यता (प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर प्रसव पूर्व देखभाल (गर्भिणी परिचर्या) के लिए आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावशीलता: एक बहु केंद्रीय कार्यात्मक अध्ययन)

(vi) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) ने निम्नलिखित नैदानिक स्थितियों में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सहयोग से होम्योपैथिक चिकित्सा का उपयोग करके एकीकृत प्रकृति का अनुसंधान अध्ययन शुरू किया है: तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम, कैंसर में रेडियो/कीमोथेरेपी के कारण दुष्प्रभाव, डेंगू के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मधुमेह पैर अल्सर, कोविड -19, गंभीर गुर्दे की बीमारी, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया और पोस्ट-कोविड मामलों के श्वसन अनुक्रम।

(vii) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) वर्तमान में तकनीकों और उपकरणों की आधुनिक पद्धति का उपयोग करके एकीकृत तरीके से तीव्र और चिरकालिक रोगों के लिए नैदानिक परीक्षणों, पूर्व-नैदानिक, फार्माकोलॉजिकल/टॉक्सिकोलॉजिकल अध्ययनों के माध्यम से सिद्ध औषधियों के मान्यकरण में कार्यरत है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान आधुनिक चिकित्सा संस्थानों के साथ विभिन्न सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन आरम्भ किए गए हैं और अनुक्रमित पत्रिकाओं में शोध लेख प्रकाशित किए गए हैं।

सीसीआरएस ने युक्तिसंगत विकास के लिए एकीकृत तरीके से रोगियों का प्रबंधन और इलाज करने के लिए सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा और सिद्ध क्लिनिकल रिसर्च यूनिट, नई दिल्ली और सरकारी थेनी मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु जैसे एलोपैथी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिद्ध पद्धति के माध्यम से कैंसर रोगियों की प्रशामक देखभाल में सहायता के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में एकीकृत सिद्ध कैंसर ओपीडी भी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(viii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता सेंटेनरी अस्पताल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में मुख्यधारा की चिकित्सा के साथ-साथ होम्योपैथिक परामर्श प्रदान करता है।

(ix) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के चयनित जिले लखीमपुर खीरी में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में यूनानी चिकित्सा के एकीकरण पर एक कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(x) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सिद्ध ऐड-ऑन उपचार आहार के साथ मानक एलोपैथिक देखभाल पर नैदानिक परीक्षण किए हैं। तीन शोध प्रतिष्ठित, सहकर्मी समीक्षा की गई, पब मेड अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आवारी कुडीनीर, घाव भरने, सोरायसिस, फिस्टुला-इन-एनो आदि के साथ मधुमेह पर भी एकीकृत नैदानिक अध्ययन किए गए हैं।

(xi) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर ने विभिन्न रोग स्थितियों में आधुनिक चिकित्सक को सह-अन्वेषक के रूप में रखकर विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन आरम्भ किया है।

ऐसे एकीकृत अनुसंधान के कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- कोविड-19
- टाइप-I मधुमेह
- थैलेसीमिया मेजर

- दमा
- फ्रेक्चर

एनोरेक्टल सर्जरी आदि।

(xii) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सीजीएचएस औषधालयों में योग की 20 निवारक स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ चला रहा है। उनके आयुष/एलोपैथी अस्पतालों में 4 योग थेरेपी केंद्र हैं।

(xiii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को आधुनिक औषध विज्ञान के लिए तीसरे बीएचएमएस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में जोड़ा गया है। इसके अलावा, भारत में विभिन्न स्वास्थ्य पद्धतियों पर वैकल्पिक मॉड्यूल को पहले बीएचएमएस पाठ्यक्रम में अनिवार्य विकल्प के रूप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के इंटर्नशिप में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विकल्प के रूप में जोड़ा है।

(xiv) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने होम्योपैथी में एकीकृत चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान में 25 परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

*****

संलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/परिषदों द्वारा आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए अनुसंधान और अन्य आयुष गतिविधियों के लिए आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	**पिछले 5 वर्ष**	**आवंटित राशि** (करोड़ रूपये में)	**उपयोग की गई राशि** (करोड़ रूपये में)
1.	2019-20	847.55	841.89
2.	2020-21	1205.08	1177.60
3.	2021-22	1318.735	1289.14
4.	2022-23	1357.98	1321.472
5.	2023-24	1449.116	1397.4435
कुल		**6178.461**	**6027.5455**